मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

निविदा विज्ञप्ति

इस कार्यालय को शासकीय कार्य हेतु किराए पर विभिन्न वाहनों (जैसे मारुति ड़ीजाइर, टाटा इंडिगो, टाटा टिगोर, होंडा अमेज़, फ़ोर्ड एस्पायर, हुंडई एक्ससेंट, मारुति सियाज़, होंडा सिटी,टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा एक्सयूवी, महिंद्रा टीयूवी, महिंद्रा बोलेरो, टोयोटा इनोवा,इत्यादि) की आवश्यकता है। इस हेतु इच्छुक ट्रैवल एजेंसी / व्यक्तियों से निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। वाहन का मॉडेल वर्ष 2016 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। निविदा दिनांक 10.02.2018 को अपरान्ह 3:00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी, जो कि उसी दिन अपरान्ह 3:30 बजे खोली जावेगी। इच्छुक निविदादाता अन्य शर्तों की जानकारी एवं निविदा प्रपत्र वैबसाइट : www.mpsdma.mp.gov.in एवं www.home.mp.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

सहायक संचालक (प्रशासन)

02-01-18

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
गृह विभाग,मध्यप्रदेश शासन

वाहन किराए पर लेने हेतु निविदा विवरण

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भोपाल को शासकीय कार्य/कार्यशालाओं/बैठकों एवं बाहर से आये अधिकारियों/अतिथियों के स्थानीय एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहनों की आवश्यकता पड़ती है । इस हेतु विभिन्न वाहन (जैसे मारुति ड़ीजाइर, टाटा इंडिगो, टाटा टिगोर, होंडा अमेज़, फ़ोर्ड एस्पायर, हुंडई एक्ससेंट, मारुति सियाज़, होंडा सिटी,टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा एक्सयूवी, महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा टीयूवी, टोयोटा इनोवा,इत्यादि) वाहनों की दरें आमंत्रित की जाती हैं । वाहन अपेक्षित मापदण्डों के तहत संधारित और चालन की अच्छी स्थिति वाले होने चाहिए, ताकि सेवाऐं सुगम और बिना परेशानी के हों ।

किराए पर वाहन उपलब्ध कराने के लिये नियम एवं शर्तेः–

१. किराए पर दिए जाने वाले वाहन का मॉडल (2016 माडल) से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा सभी वाहन टैक्सी कोटे के होने चाहिए । वाहन यथासंभव जी.पी.एस. सुविधायुक्त हों ।

२. किराए की अवधि में मासिक किराये पर लिए गए वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रदाय की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी एवं वाहन के संधारण पर होने वाली टूटफूट, बैटरी, टायर ट्यूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी भी वाहन प्रदाता की होगी ।

३. यात्रा के दौरान दुर्गम स्थान में भी वाहन ले जाया जायेगा। वाहन के ड्रायवर का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता/संस्था के अधिकारी के आदेश का पालन करें ।

४. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है । वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहिए के टायर–ट्यूब अच्छे होने चाहिए व माइलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य है। इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी । मासिक दर आधार पर वाहन को एक दिवस के लिये सर्विसिंग कार्य के लिये छूट इस शर्त पर दी जायेगी कि इसके बदले प्रदायकर्ता द्वारा अन्य वाहन उपलब्ध करायेगा।

५. वाहन प्रदाता को हर समय कार्यालय के कार्य हेतु वाहन एवं ड्रायवर तैयार मिलना आवश्यक है । वाहन प्रदाता द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान उक्त वाहन केवल इस कार्यालय मे उपयोग हेतु प्रदाय किया जाएगा एवं किसी भी अन्य कार्यालय अथवा एजेंसी को किराए पर नहीं दिया जाएगा।

६. वाहन ड्रायवर के पास नियमानुसार वाहन चालन का कम से कम ०३ वर्ष पुराना वैध ड्रायविंग लाइसेंस होना आवश्यक है । साथ ही वाहन चालक के पास मोबाइल सुविधा अनिवार्य है जिसे वाहन प्रदायकर्ता/ड्राईवर द्वारा स्वयं उपलब्ध कराया जायेगा ।

02-01-18

७. वाहन प्रदाता के वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायवर का वैध ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने आवश्यक होंगे । वाहन टैक्स पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व में रहना चाहिए । किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन का स्वामी इसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्चे वहन करेगा ।

८. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी ।

९. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में **या किसी अन्य कारण से वाहन ना उपलब्ध ना होने से प्रदायकर्ता को** उपयोगकर्ता अधिकारी को **दूसरा वाहन उपलब्ध करवाना होगा।** वाहन प्रदायकर्ता द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने पर वैकल्पिक व्यवस्था पर होने वाला व्यय वाहन प्रदायकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । यह राशि उनके देयक से वसूली योग्य होगी ।

१०. **मायलोमीटर तथा समय की गणना आफिस से आफिस तक या प्रथम पक्षकार द्वारा वाहन उपयोग मे लेने के स्थान से की जाएगी।**

११. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी एवं वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉग बुक में कराना होगा । प्रमाणित लॉग बुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

१२. माईलोमीटर की गड़बड़ी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग को निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जायेगा ।

१३. वाहन के स्थानीय मुख्यालय से बाहर उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं रहेगा ।

१४. निविदा जमा करते समय धरोहर राशि रूपये 25000/– का बैंक ड्राफ्ट सचिव गृह एवं समन्वयक मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,भोपाल के नाम से कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।

१५. आवेदन में नाम एवं पता स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिये ।

१६. वाहन प्रदायकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्ति के उपरांत मांग एवं आवश्यकतानुसार मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भोपाल को मय ड्रायवर के वाहन निर्धारित स्थान (कार्यालय) में भेजना होगा, अन्यथा स्वीकृति निरस्त की जावेगी ।

१७. वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च, जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदायकर्ता स्वयं वहन करेगा ।

१८. वाहन आवश्यकता/मांग के अनुसार बैठक/कार्यशाला/क्षेत्र भ्रमण हेतु समय–समय पर किराये पर लिये जायेंगे तथा वाहनों की आवश्यकता/मांग अनुसार मासिक किराये पर लिये जा सकते हैं । वाहन आवश्यकतानुसार भोपाल से बाहर भी प्रदेश के सभी स्थानों पर भेजे जा सकेंगे ।

02-01-18

१६. इच्छुक निविदादाताओं के नाम पर विचार तभी किया जायेगा जिसके पास न्यूनतम पाँच नग वाहन उनके या उनके फर्म के नाम पर पंजीकृत संलग्न/अनुबंधित हों । संबंधित फर्म के नाम पर पंजीकृत वाहनों की संख्या के आधार पर फर्म की क्षमता का आंकलन किया जाएगा । फर्म/मालिक के नाम से पंजीकृत/अनुबंधित वाहन की छायाप्रति निविदा के साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा । सभी प्रकार के वाहन अल्प समय की सूचना पर उपलब्ध कराने में सक्षम/आवश्यक होगा ।

२०. मासिक किराये पर लिये जाने वाले वाहन 1000 कि.मी. प्रतिमाह के हिसाब से होंगे जिसे वाहन कार्यालयीन समय के बाद निवास/कार्यालय पर खड़ा करना होगा । इससे अधिक चलाने पर अतिरिक्त प्रति कि.मी. की दर से भुगतान किया जायेगा। इसके लिये प्रति कि.मी. दर का उल्लेख अलग से किया जाए । जो वाहन मासिक रूप से किराये से सम्बद्ध रहेंगे इन्हें मुख्यालय के बाहर भी भेजा जा सकता है।

२१. मासिक किराये पर लिये गये वाहन कार्यालय द्वारा १५ तारीख के पूर्व हटाने पर १५ दिवस का एवं १५ तारीख के बाद कार्यालय द्वारा हटाये जाने पर पूरे माह का भुगतान किया जायेगा किंतु कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में वाहन हटाने पर कोई राशि प्रदाय नहीं की जायेगी ।

२२. मान्य दरें आगामी एक वर्ष के लिये लागू रहेंगी जिसे सचिव गृह एवं समन्वयक म.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार होगा ।

२३. सेवाएं संतोषप्रद न होने पर कार्यालय आवश्यकतानुसार अन्य वाहन प्रदायकर्ताओं से भी वाहन लेने के लिये स्वतंत्र होगा ।

<u>फार्मेट एवं निविदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराना:-</u>

२४. निविदा प्रस्ताव टाईप किए हुए और निविदा प्रस्ताव अनुसार प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति फर्म द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित होना चाहिये ।

२५. यदि निविदा प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसके स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए और यदि निविदा प्रस्ताव किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए जिसे फर्म की ओर से वचनबद्धता के लिये अधिकृत किया गया हो । तद्विषयक प्राधिकार पत्र/पॉवर ऑफ एटर्नी सलंग्न की जायें ।

२६. निविदा प्रस्ताव में किसी प्रकार की कांट-छांट अथवा उपरिलेखन मान्य नहीं होगा । यदि प्रस्ताव में कोई संशोधन किया गया हो तो प्रत्येक संशोधन व्यक्ति विशेष/फर्म द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिध द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिये ।

02-01-18

निविदा की प्रस्तुतिः–

२७. प्राधिकरण द्वारा यदि अन्य किसी विभाग में पूर्व से कार्य किया गया है तो उसका प्रमाण सहित उल्लेख करें ।

२८. प्राधिकरण द्वारा लिफाफे–एक में प्रपत्र–१ व लिफाफे–दो में प्रपत्र २ अ, २ ब सील बंद प्रस्तुत करेंगे ।

२९. निविदा प्रस्ताव सचिव, गृह एवं समन्वयक मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ई–५, पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलेनी भोपाल को संबोधित करते हुए सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाए तथा लिफाफे के बायें उपरी कोने पर (नियत तिथि एवं नियम समय से पूर्व ना खोलें) लिखा होना चाहिये ।

३०. निविदा प्रस्ताव निविदा आमंत्रण सूचना में अंकित तिथि एवं समय पर अवश्य प्रस्तुत कर दिए जाना चाहिए ।

३१. तथापि मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वयक के पास अंतिम सीमा बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है ।

३२. अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले निविदा प्रस्ताव बिना खोले निरस्त कर दिये जावेगें ।

निविदा प्रस्ताव खोलनाः–

३३. निर्धारित समय सीमा में प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदा प्रस्तुतकर्ताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष संसूचित तिथि एवं समय पर खोली जावेगी तथा विभिन्न एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत दरों की उद्घोषणा की जाएगी ।

निविदा प्रस्ताव का मूल्यांकन एवं कार्य आवंटनः–

३४. प्राप्त निविदा प्रस्तावों की दर का एक तुलनात्मक प्रपत्र तैयार किया जावेगा । निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों के विपरीत नियम और शर्तों वाले निविदा प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जावेगा । कोई भी निविदा प्रस्तुतकर्ता कार्य आवंटन कराने हेतु संपर्क नहीं करेगा। यदि कार्य आवंटन हेतु कोई निविदाकर्ता किसी प्रकार के बाहर दवाब से प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो उसके निविदा प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकेगा।

02-01-18

कार्योत्तर अर्हता(पोस्ट क्वालिफिकेशन)

३५. केवल न्यूनतम दर पर दर्शाना, निविदा प्रस्ताव को अंतिम रूप देने हेतु एक मात्र मानदण्ड नहीं है । संबंधित फर्म का अनुभव, अर्हता एवं दक्षता तीनों को ध्यान में रखा जावेगा । उपर्युक्तानुसार पोस्ट क्वालिफिकेशन के उपरांत निविदा फर्म की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के बाद कार्य आंवटित किया जाएगा । नकारात्मक विनिश्चय के परिणाम स्वरूप निविदा प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जावेगा और मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समन्वयक द्वितीय न्यूनतम एजेंसी के बारे में उसके अनुभव अर्हता और क्षमता के संबंध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कर सकेंगे ।

३६. निविदा प्रस्ताव की वैधता की समय सीमा के भीतर मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिव गृह एवं समन्वयक द्वारा चयनित एजेंसी अथवा फर्म को कार्य आवंटन की सूचना पत्र द्वारा दी जावेगी । सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता का रूपये 50000/- (पचास हजार रूपये मात्र) की सुरक्षा निधि सचिव गृह एवं समन्वयक मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नाम भोपाल में देय राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में जमा कराना होगा और १५ दिवस के अन्दर निविदा की शर्तों के अनुरूप एक अनुबंध पत्र (agreement) रूपये १०० के गैर न्यायिक स्टाम्प पर निष्पादित कर कार्यारंभ करना होगा ।

३७. असफल एजेंसियों की धरोहर राशि को अन्य निविदा स्वीकार करने के ३० दिवस के अदंर वापस कर दिया जावेगा ।

३८. सुरक्षा निधि जमा करने में असफल होने अथवा निर्धारित समय सीमा में वचन पत्र निष्पादित नहीं करने की दशा में निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी।

३९. **राज्य शासन द्वारा भविष्य मे कोई शर्तों एवं प्रावधानों का संशोधन किया जाता है, तो वह दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।**

भुगतान की शर्तेः—

४०. एजेंसी द्वारा बिल तीन प्रतियों में प्रत्येक अंग्रेजी महीने की ५ तारीख को, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भण्डार शाखा अथवा सचिव गृह एवं समन्वयक मध्यप्रदेश राज्य प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नामजद अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । भुगतान मध्यप्रदेश कोषालय के माध्यम से संबन्धित के बैंक खाते में जावेगा ।

४१. एजेंसी द्वारा किसी भी दशा में इस कार्य से संबंधित अपने दायित्व एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण रूप से या इसके किसी भाग का सब कान्ट्रेक्ट के द्वारा नहीं करवाएगा, जब तक कि इसकी लिखित अनुमति गृह सचिव एवं समन्वयक मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से न ले ली गई हो ।

02-01-18

४२. शासकीय कार्य से वाहन ले जाते समय यदि कोई टोल टैक्स/पार्किंग का भुगतान किया जाता है तो भुगतान की रसीद मूलतः देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी । इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का कोई कर/सेवाकर देय नहीं होगा ।

४३. टी.डी.एस. कटौती कर ही राशि भुगतान की जाएगी ।

४४. संबंधित फर्म को प्रति तीन माह में सर्विस टैक्स नियमानुसार जमा कर दिये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

अनुबंध की अवधि एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण दण्ड की स्थिति :–

४५. अनुबंध की अवधि समान्यतः अनुबंध प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे दोनों पक्षकारों (मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं वाहन प्रदायकर्ता) की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।

४६. वाहन प्रदायकर्ता द्वारा मांग अनुसार वाहन उपलब्ध न कराने पर वैकल्पिक व्यवस्था पर होने वाला व्यय वाहन प्रदायकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । यह राशि उनके देयक से वसूली योग्य होगी ।

४७. सचिव गृह एवं समन्वयक मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बगैर किसी पूर्वागृह के निविदा अथवा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर इसे पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निरस्त कर सकता है, यदि एजेंसी अनुबंध में वर्णित शर्तों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन के संबंध में सचिव गृह एवं समन्वयक मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निर्णय सर्वोपरि एवं मान्य होगा ।

४८. अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में या सेवायें संतोषपद नहीं होने पर सचिव गृह एवं समन्वयक मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी अन्य एजेंसी की सेवाऐं लेकर कार्य संपादित कराए । उपरोक्त दोनों स्थितियों में दरों के अंतर का आर्थिक भार प्रथम एजेंसी के देयक/प्रतिभूति राशि से वसूला जायेगा ।

४९. किसी भी एजेंसी की निविदा को स्वीकार करने व अस्वीकार करने अथवा पूर्व टेंडर को निरस्त कर पुनः टेंडर बुलाये जाने का अधिकार सचिव गृह एवं समन्वयक मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा ।

02-01-18

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन

(किराए पर टैक्सी वाहन लेने हेतु तकनीकी प्रपत्र)

मसिक किराये के आधार पर तथा प्रति किमी के आधार पर किराये से टैक्सी वाहन लेने के लिये निविदा प्रपत्र (तकनीकी पक्ष)

1. वाहन का प्रकार, जिसके लिए आवदेन किया गया है :– ....
2. जिस वाहन के लिये निविदा प्रस्तुत कर रहे है, उसका मॉडल वर्ष :– ....
3. ट्रेबल एजेन्सी का नाम :–...
4. ट्रेबल एजेन्सी के मालिक का नाम :–...
5. वाहन का व्यवसायिक पंजीयन वर्ष :–..
6. ट्रेबल एजेन्सी का पंजीयन नंबर :–..
7. आयकर विभाग, भारत सकरार द्वारा जारी पेन कार्ड कमांक :–..
8. बैंक ड्राफ्ट का क्रमांक/दिनांक तथा बैंक का नाम :–..

मैंने उपरोक्त निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न वाहन किराए पर लेने हेतु निविदा विवरण की सभी शर्तें क्रमांक 1 से 49 तक पढ़ ली हैं, मुझे ये शर्तें मान्य है।

दिनांक :–..............................

फर्म मालिक के हस्ताक्षर

पूरा नामः–...

पताः–...

मोबाईल नं0........................

02-01-18

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन

(किराए पर टैक्सी वाहन लेने हेतु वित्तीय प्रपत्र)

मासिक आधार पर वाहन किराये पर उपलब्ध करवाने की दर

सरल क्रमांक	विवरण	प्रथम 1000 किलोमीटर का मासिक किराया रूपये ....)	माह मे 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चलने पर प्रति किलोमीटर की दर (रुपए .... प्रति किलोमीटर)	प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक वाहन के उपयोग पर अतिरिक्त दर (रुपए .... प्रति घंटे)	रात्रि में बाह्य स्थान पर रुकने के अतिरिक्त दर (रुपए .... प्रति रात्रि)
1	वाहन की अधिकतम सीमा लागत रुपए 6.50 लाख Ex Showroom Price (जैसे मारुति ड़ीजाइर, टाटा इंडिगो, टाटा टिगोर, हुंडई एक्ससेंट, होंडा अमेज़, फोर्ड एस्पायर, महिंद्रा टीयूवी,इत्यादि)				
2	वाहन की अधिकतम सीमा लागत रुपए 8.00 लाख Ex Showroom Price (जैसे मारुति सियाज़, टोयोटा एटीओस, इत्यादि)				
3	वाहन की अधिकतम सीमा लागत रुपए 10.00 लाख Ex Showroom Price (जैसे मारुति अर्टिगा, होंडा सिटी, टाटा सफारी, इत्यादि)				

इच्छुक वाहन प्रदायकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रोफॉर्मा डाउनलोड कर, सभी विवरण अंको में एवं शब्दों में टाइप कर प्रोफॉर्मा का प्रिंट लेवें। उपरोक्त फॉर्म पर हस्तलिखित अंक एवं शब्द स्वीकार नहीं किए जावेंगे। इसके उपरांत नीले इंक से हस्ताक्षर कर कंपनी की सील लगावें।

प्रदायकर्ता का नाम,हस्ताक्षर एवं सील

Ashwini 02-01-18

दैनिक आधार (किलोमीटर एवं समय) पर वाहन किराये पर उपलब्ध करवाने की दर

स. क्र.	विवरण	8 घंटे एवं 80 किलो मीटर (रुपए मे दर)	4 घंटे एवं 50 किलोमीटर (रुपए मे दर)	समय से अधिक वाहन के उपयोग पर अतिरिक्त दर (रुपए .... प्रति घंटे)	निर्धारित किलोमीटर से अधिक वाहन के उपयोग पर अतिरिक्त दर (रुपए .... प्रति किलोमीटर)	रात्रि में बाह्य स्थान पर रुकने के अतिरिक्त दर (रुपए .... प्रति रात्रि)	न्यूनतम 250/ कि.मी./ प्रतिदिन तथा रात्रि में बाह्य स्थान पर रुकने की दर (रुपए .... प्रति रात्रि)
1	वाहन की अधिकतम सीमा लागत रुपए 6.50 लाख Ex Showroom Price						
2	वाहन की अधिकतम सीमा लागत रुपए 8.00 लाख Ex Showroom Price						
3	वाहन की अधिकतम सीमा लागत रुपए 10.00 लाख Ex Showroom Price						
4	बस – 32 सीटर						

इच्छुक वाहन प्रदायकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रोफॉर्मा डाउनलोड कर, सभी विवरण अंको में एवं शब्दों में टाइप कर प्रोफॉर्मा का प्रिंट लेवें। उपरोक्त फॉर्म पर हस्तलिखित अंक एवं शब्द स्वीकार नहीं किए जावेंगे। इसके उपरांत नीले इंक से हस्ताक्षर कर कंपनी की सील लगावें।

02-01-18

प्रदायकर्ता का नाम, हस्ताक्षर एवं सील